न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 53 / 2024

1 सुशीला कंवर पत्नी श्री धनसिंह उम्र 67 साल
2 जोरावर सिंह पुत्र श्री धनसिंह उम्र 47 साल
2 सोहनसिंह पुत्र श्री धनसिंह उम्र 45 साल
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मन्दरूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवसृजित जिला नीमकाथाना।

अपीलांट्स

बनाम

1 सुप्यार कंवर पत्नी श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवसृजित जिला नीमकाथाना।
2 कैलाश कंवर पुत्री धनसिंह
3 गेन्दा कंवर पुत्री धनसिंह
4 कमोद कंवर पुत्री धनसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मन्दरूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवसृजित जिला नीमकाथाना।
5 हनुमान सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 पटवारी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 उपतहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस दावा संख्या 57/2022 जीसीएमएस 2022/106 उनवानी सुप्यार कंवर बनाम सुशीला कंवर आदि दिनांकित 05.02.2024

उपस्थिति :

1. श्री बलदेव सिंह खण्डेला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री रणजीत कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9/12/25

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 57/2022 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेसपोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बावत भूमि खसरा नम्बर 2411, 2528, 25929, 2734, 2767, 2630, 2376, 2527, 2637, 2545, 2549, 2733, 2757, 2738, 2759, 2760, 2761, 2703, 2704, 2716, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2820/2540, 2821/2540, 2822/2540 राजस्व ग्राम खिरोटी व भूमि खसरा नम्बर 2356, 2357, 2358, 2360 राजस्व ग्राम बुर्जा की ढाणी का पेश किया। विचारण न्यायालय

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रावधानों की रोशनी में राजीनामें का परीक्षण कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर